भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला

टी0 ए0 मिस वाद संख्या 127A/2016-17

मंगल सरदार बनाम मान्द्रु हेम्ब्रम

:: आदेश::

दिनांक	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
15-9-2017	अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी सरायकेला के पत्रांक 230 दिनांक 15.3.2017 द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0 127 A/2016–17 का जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, जिसका अवलोकन किया गया। बिक्रेता मंगल सरदार पिता–स्व0 खेपा सरदार, ग्राम–नरसिंहपुर, थाना–सरायकेला जिला– सरायकेला–खरसावॉ ने सरकारी ऋण चुकाने एवं उन्नत खेती के लिए उपकरण खरीदने हेतु क्रेता श्री मान्द्रु हेम्ब्रम, पिता – स्व0 सीराम हेम्ब्रम, ग्राम– केन्दुपोसी, थाना–सरायकेला जिला– सरायकेला–खरसावॉ को भूमि की बिक्री करने के लिए छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किये हैं। क्रेता के निवास के संबंध में आधार कार्ड, आवासीय एवं जाति प्रमाण पत्र समार्पित किया गया है। बिक्री की जाने वाली भूमि का विवरण निम्न प्रकार है:–	

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
बासुदेवपुर	284	03	162	0.15ए0

न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं किया है। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से प्रतीत होता है, कि प्रस्तावित भूमि खाता रैयत खेपा भूमिज के नाम पर पंजी कायम है जिनका देहान्त हो चुका है। मृत रैयत के दो संतान मंगल सरदार तथा गुरवा सरदार हैं, गुरवा सरदार की निःसंतान मृत्यु हो चुकी है तथा उनकी पत्नी भूमि बिक्रेता के साथ शादी कर चुकी है एवं संपूर्ण अवशेष भूमि पर आवेदक का दखल है। इस आशय का प्रमाण संबंधित वार्ड सदस्य लक्ष्मी सरदार पंचायत ईटाकुदार द्वारा भी दिया गया है। बिक्रेता के हक एवं हिस्सा में कुल रकवा 2.37एकड़ भूमि है। आवेदक अपने हिस्से की अंशिक जमीन की बिक्री हेतु अवेदन किये हैं, जिसमे से 0.15 एकड़ भूमि बिक्री करने के पश्चात् उनके हिस्से में 2.22 एकड़ भूमि बचती है। साथ ही विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना सरायकेला, जाति 'हो' एवं 'भूमिज' जो अनुसूचित जन जाति वर्ग के अन्तर्गत आते हैं।

उपर्युक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक में उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.15एकड़ भूमि बिक्री करने की अनुमति दी जाती है। तद्नुसार अभिलेख निस्तार किया जाता है।

15/9/17

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,

सरायकेला।